(9)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 23 / .सन् 2014–15

केश का प्रकार बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– रीझन मल्लिक

प्रतिपक्षीः–बिनय कुमार मिश्र

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
22/04/17	प्रस्तुत वाद आवेदक श्री रिझन मल्लिक पिता अवध मल्लिक ग्राम–खोपा अंचल–घोघरडीहा के आवेदन पर अंचल अधिकारी, घोघरडीहा द्वारा संधारित अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के पत्रांक 29 दिनांक–10.01.2015 से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत प्रारम्भ करते हुये उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रारम्भ करने का अवसर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास ने अपने आदेशफलक दिनांक–10.1.15 में लिखा है कि अंचल अधिकारी घोघरडीहा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी संख्या–**121, 122 एवं 123 में सन्निहित खाता खेसरा रकवा जो सरकारी सर्व साधारण की भूमि है, को आमहित की संरक्षण हेतु रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।** निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख में उपलब्ध हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि मौजा–खोपा थाना नं. 139 खाता नं. 68 खेसरा नं. 336 रकवा 3–1–3 किस्म भिण्डा गै0म0आम एवं खेसरा नं. 337 रकवा 1–15–1 किस्म पोखर नवैयत गै0म0आम खतियान में दर्ज है। हाल सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–खोपा थाना नं. 139 खाता नं. 137 खेसरा 722 रकवा 1–40 डी0किस्म पोखर नवैयत अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है। खेसरा संख्या–337 किस्म पोखर रकवा 1–15–1 के रूप में वर्तमान में भी पोखर है। खेसरा संख्या– 336 रकवा 3–1–3 पोखर भिन्डा है **जिस भिण्डा के पश्चिम तरफ महादलित डोम जाति के परिवार सब बसे हुये हैं।** महादलित परिवार का पूर्व में ही पर्चा निर्गत किया जा चुका है। **भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय वाद संख्या–17 / 13–14 में भी खाता नं. 68 खेसरा 336 रकवा 3–1–3 एवं खेसरा 337 रकवा 1–15–1 को बिहार सरकार घोषित किया गया है।** राजस्व हित में खाता 68 खेसरा 337 रकवा 1–15–1 किस्म पोखर जल भाग को जलकर सैरात में लिये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिवेदन के साथ अंचल अमीन द्वारा तैयार किये गये ट्रेश मैप में खेसरा 337 को लाल रंग से दर्शाया गया है। वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। प्रतिपक्षी के रूप में श्री बिनय कुमार मिश्र पिता श्री शांतिनाथ मिश्र मौजा–खोपा थाना–फुलपरास जिला मधुबनी ने वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी दिया एवं प्रत्युत्तर दाखिल किया। प्रत्युत्तर में मुख्य बातों का उल्लेख किया है कि मौजा–खोपा के खाता नं. 68 खेसरा नं. 337 रकवा एक बिगहा पन्द्रह कट्ठा एक धूर भूमि प्रतिपक्षी के पूर्वज यदुबीर मिश्रा के नाम से है जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के समय से पोखरा अबतक है। यदुबीर मिश्र उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के मध्यवर्ती जमींदार थे। पारिवारिक बंटवारा सुट मुकदमा नं. 134 / 55–56 के आधार पर विपक्षी के परदादा के हिस्से में आया। विपक्षी के पूर्वज दीनानाथ मिश्रा को उक्त भूमि लगान निर्धारण के माध्यम से प्राप्त हुआ तथा फॉर्म–एम उनके नाम से निर्गत हुआ जिसमें उक्त तालाब भी है। इसी के आधार पर जमाबंदी नं. 122 कायम हुआ जिसका लगान रसीद उनके पूर्व के समय से ही बिहार सरकार को अदा करते आ रहे हैं।	CH 142 23.4.17

2– भू0हदबंदी अधिशेष भूमि का वाद संख्या 65/74–75 शांतिनाथ मिश्रा एवं अन्य के नाम से चला जिसमें पाया गया कि उनके परिवार में कोई अधिशेष भूमि नहीं है वाद दिनांक 29.07.1975 को निष्पादित हुआ। प्रकाशित ड्राफ्ट में उक्त भूमि विपक्षी के पूर्व दीनानाथ मिश्रा का दर्शाया गया है।

3– गलत आधार पर पुनः अभिलेख संधारित कर पर्चा निर्गत कर दिया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी की ओर से सी0डब्लू0जे0सी07999/94 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.09.1994 एवं 10.7.95 के आदेश को स्थगित करते हुये रीट को सुनवाई हेतु रखा गया जो विचाराधीन लंबित है।

4– विपक्षी के पूर्वज ने खाता नं. 68 के कुछ भू–भाग को महामहिम राज्यपाल को एन0के0पी0कॉलेज हेतु दान दिया जो कॉलेज उक्त भूमि पर चल रहा है।

5– विपक्षी उक्त भूमि के वास्तविक हकीयत एवं दखलकार हैं। विपक्षी के पूर्वज के नाम उक्त भूमि की कायम जमाबंदी सही है। पूराने कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। आवेदक का दावा गलत है अतः उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त करते हुये आवेदक के विरूद्ध कॉस्ट निर्धारित किया जाय।

विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य/सबूत/कागजात प्रस्तुत नहीं किया। प्रत्युत्तर दाखिल करने के बाद निरंतर अनुपस्थित रहे। न्यायालय स्तर से विपक्षी को सूचना भेजी गयी तामिला के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुये। वाद में सुनवाई की गयी तथा उपलब्ध कागजातों के आधार पर एक पक्षीय सुनवाई की गयी एवं आदेशार्थ रखा गया।

आवेदक की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–17/13–14 बिनय कुमार मिश्र–बनाम–रीझन मल्लिक में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य–सबूत एवं दाखिल जवाब एवं सुनवाई के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास ने विवादित पोखरा को अनाबाद बिहार सरकार मानते हुये अंचल अधिकारी घोघरडीहा एवं थानाध्यक्ष फुलपरास को आवश्यकय कार्रवाई का आदेश दिया जिसके विरूद्ध विपक्षी बिनय कुमार मिश्र ने कोई अपील नहीं की।

2– आवेदक के आवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि को सरकारी सैरात में सम्मिलित करने एवं जमाबंदी को निरस्तीकरण हेतु अभिलेख संख्या–23/13–14 संधारित कर भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास के माध्यम से अपर समाहर्ता के न्यायालय में वाद को अग्रसारित किया जिसमें राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जायेगा कि प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार की है।

3– ग्राम पंचायत राज बिशनपुर के आम कार्यकारिणी के द्वारा सर्व सम्मति से मौजा खोपा अंतर्गत खाता नं. 68 खेसरा नं. 337 रकवा 2.67 डीसमल किस्म पोखरा गैर मजरूआ आम भूमि को सरकारी सैरात सूची में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

4– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जमाबंदी नं. 121, 122 एवं 123 में निहित गैर मजरूआ आम भूमि को बिहार सरकार की भूमि मानकर इस जमाबंदी से मुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

5– खाता संख्या–68 खेसरा नं. 337 पु0 722 नया किस्म पोखरा एवं खेसरा नं. 336 उक्त पोखररा का चारो भिण्डा है। पोखरा भिण्डा पर चारों तरफ महादलित (डोम) जाति के लोग बसे हुये हैं और उनके नाम से वासगीत पर्चा मिला हुआ है।

6– सर्व साधारण भूमि की बंदोवस्ती के संदर्भ में न्यायालय समाहर्ता, कैमूर द्वारा विविध वाद संख्या–51/14–15 में पारित सामान्य आदेश की प्रतिलिपि पत्रांक–1064/विविध दिनांक 06.05.2014 के द्वारा बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित है।

निष्कर्षः–

प्रतिपक्षी द्वारा लिखित प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है कि गलत आधार पर अभिलेख संधारित कर पर्चा निर्गत कर दिया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी की ओर से सी0डब्लू0जे0सी07999/94 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.09.1994 एवं 10.7.95 के

आदेश को स्थगित करते हुये रीट को सुनवाई हेतु रखा गया जो विचाराधीन लंबित है।

नेट से प्राप्त सी0डब्लू0जे0सी07999/94 के अद्यतन स्थिति में दिनांक 10.07.1995 को निष्पादित दिखाया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 10.07.1995 को पारित आदेश में लिखा गया है कि " Learned counsel appearing on behalf of the petitioners says that the aforesaid petition for grant of stay shall be filed before the appellate authority latest by 24-07-2015. The interim order passed by this Court on 20-09-1994 shall continue till before appellate authority passes any order upon the stay petition filed by the petitioners, provided the petitioners file the stay application before the appellate authority by 24-07-1995. With the aforesaid direction, this application is disposed of.

प्रतिपक्षी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निर्धारित अवधि में अपील दायर किया अथवा नहीं, के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, घोघरडीहा द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर समर्पित प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न है, के अनुसार **प्रश्नगत भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान खाता नं. 68 खेसरा नं. 336 एवं 337 रकवा क्रमशः 2–67 डी. एवं 1–53 डी. किस्म पोखर गैर मजरूआ आम तथा हाल सर्वे खतियान में खाता नं. 137 रकवा 1–48 किस्म पोखर अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है। प्रतिपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा करते हैं किन्तु कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान प्रश्नगत भूमि को बिहार सरकार के खाता में दर्शाता है।** भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास ने बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–17/13–14 में सारे तथ्यों, कागजातों की **समीक्षोपरान्त प्रश्नगत भूमि में अवस्थित पोखर अनाबाद बिहार सरकार के अधीन मानते हुये इसके संरक्षण का आदेश अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को दिया तथा अंचल अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव इस न्यायालय को समर्पित किया है।**

राजस्व अभिलेख के संरक्षक अंचल अधिकारी/हल्का कर्मचारी होते हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के माध्यम से अंचल अधिकारी घोघरडीहा द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार जमाबंदी संख्या–121, 122 एवं 123 में सन्निहित खाता खेसरा रकवा जो सरकारी सर्व साधारण की भूमि है, को संदेहास्पद पाते हुये आमहित की संरक्षण हेतु उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अतः राजस्व पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त जमाबंदी को रद्द किया जाता है। चूँकि प्रतिपक्षी/आवेदक/अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता किसी भी स्तर से उक्त जमाबंदी में सन्निहित भूमि के संबंध में माननीय न्यायादेश का अद्यतन किसी प्रकार के आदेश का न तो कोई उल्लेख किया गया है और न ही कोई साक्ष्य दिया गया है इसलिए यह न्यायालय अनभिज्ञ है। प्रतिपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल करने के बाद नोटिस तामिला करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। वाद की एक पक्षीय सूनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में यदि माननीय न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश पारित हुआ होगा तो वह मान्य होगा और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास एवं अंचल अधिकारी, घोघरडीहा को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश की सूचना पक्षकारों को संसूचित कर देंगे।

लेखापित

22/4/17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

22/4/17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्रांक 84/70 मु0
दिनांक-22/4/17 ई0